# फर्द अहकाम

## न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री हीरा सिंह चौहान पिता स्व. श्री खुमानसिंह जी निवासी बाडिया आतरिया बली जस्साखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम

— **प्रत्यर्थी**

**किस्म मुकदमा** — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 53 / 2025**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 12.08.2025**<br>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से जरिये पत्र क्रमांक :— प0सू0अ0,05 / 2025 / 1577—1578 दिनांक 18.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री हीरासिंह द्वारा चाही गई वाछित सूचना का संबंध तहसील कार्यालय भीम से होने के कारण मूल प्रार्थना पत्र ही जरिये पत्रांक 896—897 दिनांक 25.04.2025 से तहसीलदार भीम को मूल प्रार्थना प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु भिजवाया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से जरिये पत्र क्रमांकः— सू0अ0,05 / 2024 / 574 दिनांक 12.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सुचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना पूरानी होने से कार्यालय रिकार्ड में तलाश किये जाने हेतु कार्यालय आदेश : 565 दिनांक 11.08.25 द्वारा कमेठी का गठन किया जा चुका है। आवेदक द्वारा वांछित सूचना / दस्तावेज शीघ्र तलाश कर नियमानुसार उपलब्ध करा दी जावेगी।<br>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना तहसील कार्यालय भीम से संबंधित होने के कारण मूल प्रार्थना पत्र ही जरिये पत्रांक 896—897 दिनांक 25.04.2025 से तहसीलदार भीम को भिजवाया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वांछित सूचना पूरानी होने से कार्यालय रिकार्ड में तलाश किये जाने हेतु कमेठी का गठन किया जा चुका है। आवेदक द्वारा वांछित सूचना / दस्तावेज शीघ्र तलाश कर नियमानुसार उपलब्ध करा दी जावेगी। | |

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में गठित कमेटी से 01 माह में रिपोर्ट ली जाकर अपीलार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाकर रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम को भिजवायी जावे।

**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)